उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-124/2019/1688/92-2-2019-114(जांच)/2017,
लखनऊ :: दिनांक:: 17 सितम्बर, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय आदेश सं0-जी-594/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/समूह-ख/2017-18 दिनांक 11.08.2017 द्वारा श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव, सहा0 अभि0, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड मऊ का स्थानान्तरण जनहित एवं शासकीय कार्यहित में प्रखण्ड झांसी में किया गया था, जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड मऊ के कार्यालय आदेश सं0-599/ग्रा0अ0वि0/स्था0/2017-18 दिनांक 05.10.2017 द्वारा श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव को दिनांक 05.10.2017 के अपरान्ह में प्रखण्ड मऊ से कार्यमुक्त कर दिया गया परन्तु श्री श्रीवास्तव द्वारा न तो प्रखण्ड झांसी में योगदान किया और न ही कोई अवकाश संबंधी प्रार्थना पत्र दिया गया। उक्त अनुशासनहीनता हेतु प्रथम द्रष्ट्या उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-03/2018/126/92-2-2018-114(जांच)/2017, दिनांक 17.01.2018 द्वारा श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव, सहा0 अभि0, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड मऊ (सम्प्रति प्रखण्ड मऊ से प्रखण्ड झांसी में योगदान हेतु कार्यमुक्त) को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-विन्ध्यांचल को पदेन जांच अधिकारी नामित कर निलम्बन अवधि में श्री श्रीवास्तव को कायार्लय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रा0अभि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध किया गया।

2- शासन के पत्र दिनांक 23.02.2018 द्वारा अपचारी अधिकारी श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव के विरूद्ध अनुमोदित आरोप पत्र निर्गत करते हुए जांच अधिकारी से नियमानुसार जांच कर जांच आख्या निर्धारित समयवाधि में उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। जांच अधिकारी की जांच आख्या उनके पत्र दिनांक 21.12.2018 द्वारा जांच आख्या शासन मे उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी की जांच आख्या में प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 03.01.2019 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन/अभिकथन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 23.02.2019 द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 05.03.2019 के माध्यम से शासन में उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, जांच आख्या मे प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में आरोप संख्या-1 जो स्थापित पाया गया था में शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.06.2019 द्वारा श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से सेवा मे बहाल करते हुये उनके विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.01.2018 द्वारा प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही में उन्हें 2019-20 के लिए परिनिन्दा का दण्ड देते हुए समाप्त कर दी गयी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- प्रश्नगत प्रकरण में श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव, सहा0 अभि0, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड मऊ सम्प्रति पी0आई0यू0 भदोही के निलम्बन अवधि दिनांक 17.01.2018 से दिनांक 16.06.2019 तक के अवशेष वेतन/भत्तों के संबंध में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग-2(4) के अंतर्गत प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक 12.07.2019 पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा उनके निलम्बन अवधि दिनांक 17.01.2018 से दिनांक 16.06.2019 तक के अवशेष वेतन/भत्तों का भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतएव श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव के उक्त निलम्बन अवधि को उनकी कर्तव्यार्थ सेवा मे व्यतीत की गयी अवधि मानी जायेगी।

अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से,

वी0 के0 सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या124 /2019/1688(1)/92-2-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
2- श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव, सहा0 अभि0, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड मऊ सम्प्रति पी0आई0यू0 भदोही द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।